



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1941 (श10)

(सं० पटना 505) पटना, शुक्रवार, 29 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2019

अधिसूचना संख्या. 7/2019- राज्य कर (दर)

एस० ओ० 73 ,दिनांक 29 मार्च 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमतः प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डेवलपमेंट राइट्स के अनुदान, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा] अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे बिहार गजट असाधारण	प्रोमोटर

क्र.सं.	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)
	अंक संख्या-554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	
2	सीमेन्ट जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है जो कि अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	प्रमोटर
3	पूंजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो और जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (i क), (i ख), (i ग), (i घ), (i ङ) और (i च) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान देय हो या किया जाता हो।	प्रमोटर

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, -

- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।
- (ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजिडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है
- (iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

- (iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

29 मार्च 2019

एस० ओ० 73, दिनांक 29 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 29th March 2019

Notification no. 07/2019- State Tax (Rate)

S.O. 73, Dated 29th March 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person specified in column (3) of the table below, shall in respect of supply of goods or services or both specified in column (2) of the Table below, received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods or services or both, namely:-

Table

Sl. No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
1	Supply of such goods and services or both [other than services by way of grant of development rights, long term lease of land (against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc.) or FSI (including additional FSI)] which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29 th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Bihar Gazette vide No. 554, dated 29 th June, 2017, as amended.	Promoter.
2	Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which constitute the shortfall from the	Promoter.

Sl. No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
	minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29 th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Bihar Gazette vide No. 554, dated 29 th June, 2017, as amended.	
3	Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed for items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial number 3 in the Table, in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29 th June, 2017, published in Bihar Gazette vide No. 554, dated 29 th June, 2017, as amended.	Promoter

Explanation. - For the purpose of this notification, -

- (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
- (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.

2. This notification shall come into force with effect from 1st of April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 07)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 505-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>